

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0(संशोधन)/ /21, लखनऊ:दिनांक: 12, जनवरी-2021.

-संशोधित आदेश-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत पूर्ण पीठ आदेशांक-64/2021 दिनांक 11.01.2021 द्वारा दिनांक 11.01.2021 एवं 21.01.2021 को लखनऊ में पूर्ण पीठ से लम्बित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की गयी थी। जिसमें अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के साथ न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, व पीठ-2, लखनऊ नामित किये गये थे।

आदेशांक-97/2021 दिनांक 12.01.2021 द्वारा न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, लखनऊ को दिनांक 18.01.2021 से दिनांक 23.01.2021 तक वाराणसी में गठित युगल पीठ हेतु नामित किया गया है। जिसके फलस्वरूप सदस्य पीठ-1, लखनऊ पूर्ण पीठ में अनउपलब्ध रहेंगे।

अतः दिनांक 21.01.2021 को लखनऊ पीठों में लम्बित पूर्ण पीठ के वादों के निस्तारण हेतु सदस्य पीठ-1, लखनऊ के स्था पर सदस्य पीठ-3, लखनऊ नामित किया जाता है। खण्डपीठ की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0- 12.01.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0


अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/यु0पी0संशो0/102/2021, तद्विनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, व पीठ-2, व पीठ-3, लखनऊ।
2. मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक/यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,


प्र0 निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।